न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प सिन्दरू, तहसील सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 66/2016
दायर तिथि– 25.10.2016
तारीख फैसला– 18.05.2018

वादीः– खंगारा पुत्र दलारामजी आयु बालिग जाति मीणा निवासी सिन्दरू
तहसील–सुमेरपुर जिला–पाली (राजस्थान)

ब ना म

प्रतिवादीः–
1.राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार, सुमेरपुर,
तहसील–सुमेरपुर, जिला–पाली (राजस्थान)

::– **वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट, 1955**–::

–:निर्णयः–

(1) सरहद मौजा सिन्दरू पटवार हल्का सिन्दरू में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि पुराने खसरा नं. 351, 352 मी. कुल रकबा 9 बीघा 8 बीस्वा किस्म बारानी तुतीय जिसके हाल खसरा नं. 445 रकबा 0.90 हैक्टर आई हुई स्थित है।

(2) उक्त कृषि भूमि खसरा नं. 351 रकबा 9 बीघा 8 बीस्वा किस्म बारानी तृतीय की खातेदारी भूमि राजस्व कैम्प सिन्दरू में दिनांक 08.02.1983 को वादी के प्रार्थना पत्र वादी को आवंटन हुई है। आवंटन के रोज से लगातार उक्त भूमि पर वादी काबिज है। वादी एक भूमिहीन किसान था अतः उसने उप जिलाधीश, तहसील बाली कैम्प सिन्दरू के समक्ष एक प्रार्थन पत्र दिनांक 08.02.1983 पेश कर निवेदन किया कि उसे कृषि हेतु कृषि भूमि आवंटन कि जाये उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी सिन्दरू ने तफ्तीश कर उक्त प्रार्थना पत्र पर ही अपनी रिपोर्ट लिखकर दी कि वादी के नाम ही कोई जमीन ग्राम सिन्दरू में है। इसके बाद वादी को उक्त भूमि दिनांक 08.02.1983 को आवंटन की गई एवं आवंटन के समय ही वादी द्वारा उक्त आवंटन सुदा कृषि भूमि का आरक्षित मुल्य सनद फीस, नामान्तकरण शुल्क रूपये 1962/– जमा करवा दिये थे।

(3) वादी को उक्त कृषि भूमि आवंटन होने के बाद से अर्थात् दिनांक 08.02.1983 से वादी का उक्त कृषि भूमि पर बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि पर कृषि कार्य करता आ रहा है। वादी ने उक्त भूमि में सुधार कार्य कर भूमि को उपजाऊ बनाया है। वादी को उक्त भूमि आवंटन होने के बाद नामान्तकरण संख्या 164 दिनांक 08.02.1983 को वादी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर उपरोक्त खातेदारी भूमि गत खसरा नं. 351 का वादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं जमाबंदी सवंत 2031 से 2034 में नामान्तकरण सं 164 के जरिये वादी का नाम बतौर गैर खातेदार इन्द्राज किया गया। लेकिन उसके बाद बनी जमाबंदी में वादी का वाद इन्द्राज नहीं कर उक्त भूमि को राजकीय भूमि की इन्द्राज किया गया। जबकि उक्त भूमि पर वादी का वक्त आवंटन से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(4)तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का सिन्दरू द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवंटन आदेश की पालना नां.स. 164 दिनांक 08.02.2018 दायर किया जाकर जमाबंदी संवत 2031 से 2034 के खाता सं. 1 में अमल दरामद किया जाना पाया। वक्त आवंटन सेटलमेंट का कार्य चालू होने से नई जमाबंदी तैयार करते वक्त उक्त नामा. का ईन्द्राज शेष गया। जो आत तक शेष है। गत खसरा नं. 351 के हाल खसरा नं. 445 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म बा. तृतीय सिवायचक राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। जिस पर आंवटी का शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि जवाई कमाण्ड क्षेत्र से बाहर नौन कमाण्ड असिंचित भूमि हैं जिसके आरक्षित मुल्य की राशी भी 1692 रू दिनांक 11.12.1994 को जमा हो चुके हैं। तहसीलदार सुमेरपुर आरक्षित मुल्य एवं अन्य मद का राजस्व बकाया हो तो वसूली कर बाद वसूली राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **18.05.2018** को राजस्व लोक अदालत केम्प सिन्दरू में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner